



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28445

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3611/2026

बाला देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अनुज कुमार गुप्ता

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: अरुण कुमार पांडेय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस भेजने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रत्यर्थी आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो उनके आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने के अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत प्रत्यर्थी संख्या-2/उप जिलाधिकारी, तहसील एवं जनपद संभल को निर्देश देना है कि वह वाद संख्या 202413740311865 में दिनांक 06.11.2025 के निष्पादन आवेदन (एक्जीक्यूशन एप्लीकेशन) को शीघ्रता से निस्तारित करें।
4. मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काफी समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या-2/उप जिलाधिकारी, तहसील एवं जनपद संभल को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे उपर्युक्त आवेदन को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार कड़ाई से और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के शीघ्रता से तय करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

9 फरवरी, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"